संख्या– 2308 / 14–2–2017–800(94) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 11 अक्टूबर 2017**

विषयः– बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत एन0एच0–730 के किमी0 248.400 से किमी0 280.000 तक (बहराइच–श्रावस्ती सेक्शन) मार्ग चौड़ीकरण परियोजना हेतु 20.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2320 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग के अन्तर्गत एन0एच0–730 (बहराइच–बलरामपुर मार्ग) के किमी0 280 से 310 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 14.991 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2322 वृक्षों के पातन, अर्थात कुल 35.063 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4642 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 61 / 2017 / एफसी / 103, दिनांक 18–9–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1000 / 11सी / एफपीयूपी / रोड / 18934 / 2016 दिनांक 10–10–2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 10–10–2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति क्षेत्रीय सशक्त समिति की आगामी बैठक दिनांक 12–10–2017 में अनुमोदनार्थ सम्मिलित किये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथापरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या– 2308 (1) / 14–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।

2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।